बिहार विधान परिषद् **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

429 राजकीयकृत संस्कृत विद्यालयों के सरकारीकरण से संबंधित सिविल अपील नं0- 3533-3595/1995 बिहार सरकार बनाम सुभाष चन्द्रा एवं अन्य मामले में 23 वर्षो की लम्बी प्रतीक्षा के बाद दिनांक – 02.01.2017 को न्याय निर्णय आया है। वह न्याय निर्णय यह है कि 429 राजकीयकृत संस्कृत विद्यालयों को दिनांक – 18.12.1989 से ही वैधिक स्वीकृति प्रदान की जाय। यह उल्लेखनीय है कि इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णय की प्रति विधि विभाग, वित्त विभाग, महाधिवक्ता, बिहार सहित शिक्षा विभाग को प्राप्त है। परन्तु आज तक कार्यरत एवं अवकाश प्राप्त शिक्षकों की सूची का प्रेषण भी शिक्षा विभाग द्वारा वित्त विभाग को नहीं किया जा सका है। और न ही संघ के प्रतिनिधियों के साथ विशेष समिति गठित कर वार्ता ही किया जा सका है।

ऐसी परिस्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक – 02.01.2017 के न्याय निर्णय के क्रियान्वयन हेतु 429 राजकीयकृत संस्कृत विद्यालयों के सरकारीकरण से संबंधित दिनांक 18.12.1989 को प्रख्यापित बिहार गजट को वैधिक सक्षमता प्रदान करने हेतु बिहार विधान मंडल से विधेयक पारित कराने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह0/-दिलीप कुमार चौधरी
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-71/2018 - 481 /वि.प.। पटना, दिनांक- 28.02.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग,बिहार / प्रश्न शाखा / निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 09.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 28.02.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

वर्ष 2007 में राज्य सरकार द्वारा इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् को विघटित कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में समायोजन किया गया था। तत्पश्चात् विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जो अपने जांच प्रतिवेदन में 591 कर्मियों की सेवा अनियमित एवं त्रुटिपूर्ण मानते हुए अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। राज्य सरकार अपने संकल्प सं0-413 दिनांक – 12.07.2012 के द्वारा 379 कर्मियों की सेवा समिति कार्यालय में समायोजन किया है। शेष 248 कर्मियों का सामंजन की प्रक्रिया संकल्प सं0- 596, दिनांक – 22.09.2014 के द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया, लेकिन समायोजन प्रस्ताव अभी तक लंबित है। उल्लेखनीय है कि सभी कर्मियों की सेवा लगभग 22-23 वर्षो की हो गयी है।

अचानक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपने पत्रांक – 4593 दिनांक – 18.08.2017 द्वारा 186 कर्मियों को सेवा मुक्त कर दिया है।

अत: मैं सरकार से सभी शेष 248 कर्मियों की सेवा सामंजन करने एवं अचानक 186 कर्मियों की सेवा मुक्त किये जाने की कारणों के संबंध में सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह0/-देवेश चन्द्र ठाकुर
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-70/2018 – 480 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक-28.02.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग,बिहार /प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 09.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह
(नवल किशोर सिंह) 28.02.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य में शिक्षकों की भारी कमी है, जिससे छात्र-छात्राओं की शिक्षा और राष्ट्र की क्षमता प्रभावित हो रही है। बिहार के प्राथमिक से लेकर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक नियोजित शिक्षकों के महत्व को नजर अंदाज किया जा रहा है। इन शिक्षकों को मनरेगा की न्यूनतम निर्धारित दिहाड़ी के हिसाब से कुल 30 के समतुल्य से कुछ ही ऊपर वेतन दिया जाता है। साथ ही इन शिक्षकों को जीवन साथी एवं बच्चों के लिए महत 200 रू0 मासिक चिकित्सा भत्ता देय है। इनको समय पर वेतन भी नहीं मिलता है। पटना, नालन्दा, नवादा, गया समेत लगभग सभी जिला के नियोजित शिक्षकों को विगत छः माह से वेतन नहीं मिला है। वेतन के अभाव में इनके समक्ष भयावह और अव्यावहारिक परिस्थिति गुजर रही है। बिना वेतन के काम करना शिक्षकों के ही नहीं,किसी के लिए भी काफी कठिन है।

अतः मैं सरकार से उक्त विषम परिस्थिति में राज्य के सभी स्तर के विद्यालयों के नियोजित एवं हाल में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के न्याय निर्णय पर बहाल शिक्षकों को समय पर न्यायोचित वेतन और सुविधा मुहैया कराने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह0/- नवल किशोर यादव
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-69/2018 - 479 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 28.02.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग,बिहार / प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 09.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 28.02.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्   ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

देश के प्रख्यात समाजवादी नेता स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक जय प्रकाश नारायण के नाम पर सारण प्रमण्डलीय मुख्यालय छपरा में जय प्रकाश विश्वविद्यालय की स्थापना 25 वर्ष पूर्व की गई है। उक्त विश्वविद्यालय वर्तमान में शैक्षणिक अराजकता एवं वित्तीय अनियमितता के दौर से गुजर रहा है। छात्र-छात्राओं का शैक्षणिक सत्र तीन वर्ष से ज्यादा पिछड़ गया है तथा वर्ष 2014 की स्नातक प्रथम सत्र का परीक्षा का परिणाम अभी तक लम्बित हैं, इतना ही नहीं वर्ष 2015, 2016, 2017 की परीक्षाओं का अभी तक नामांकन एवं पंजीयन की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी है। यही स्थिति स्नातकोत्तर वर्ग की परीक्षाओं की भी है जिसके कारण सम्पन्न वर्ग के छात्र दूसरे विश्वविद्यालय में पलायन कर रहे है और गरीब एवं कमजोर वर्ग के छात्र परेशान हो रहे हैं। शिक्षक-कर्मचारियों की कमी के कारण स्नातकोत्तर विभागों समेत महाविद्यालयों में प्रायोगिक कक्षाओं हेतु संसाधन उपेक्षाओं का दंश एक दशक से छात्र झेलने को विवश हैं। इतना ही नहीं प्रतिष्ठित महाविद्यालय राजेन्द्र कॉलेज में आज तक कोई स्थायी प्राचार्य नहीं है तथा कई विभाग शिक्षक विहीन हैं।

उल्लेखनीय है कि आधारभूत संरचना की अभाव से राष्ट्रीय स्तर पर नैक की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है जिसके कारण भी यू0जी0सी0 स्तर पर महाविद्यालयों को मिलने वाली वित्तीय सहायता से वंचित होना पड़ेगा। जबकि विश्वविद्यालय 21 अंगीभूत महाविद्यालयों में से मात्र 5/6 महाविद्यालय में ही नैटी टीम का निरीक्षण हो पाया जबकि 15 महाविद्यालय बाकी है साथ ही साथ विश्वविद्यलाय को भी नैक की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा।

अतः जे0पी0 विश्वविद्यालय छपरा एवं संबद्ध महाविद्यालय की परीक्षाओं का सत्र नियमित करने, आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने तथा राजेन्द्र कॉलेज में स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति कर शैक्षणिक माहौल बहाल करने हेतु सदन में सरकार से एक ठोस वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह0/-वीरेन्द्र नारायण यादव
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-68/2018 - 478 (1) /वि.प.।   पटना, दिनांक- 28.02.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग,बिहार / प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 09.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह
(नवल किशोर सिंह) 28.02.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

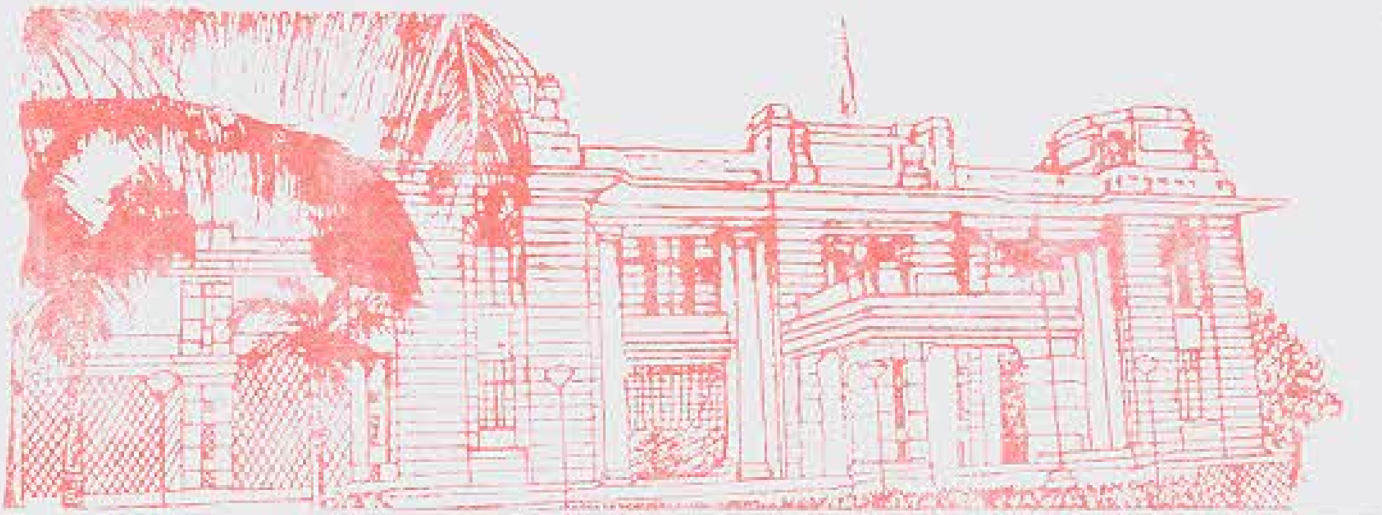

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

रा0 उ0 मध्य विद्यालय, बाजितपुर बुचौली प्रखंड- जन्दाहा, जिला- वैशाली की प्रभारी प्रधानाध्यापिका वर्ष 2001 से आज तक उक्त विद्यालय में पदस्थापित है। इनके विरूद्ध शैक्षणिक लापरवाही एवं घोर वित्तीय अनियमितता की शिकायतें जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली को समय-समय पर आवेदन पत्र के द्वारा स्थानीय नागरिकों एवं अभिभावकों ने पहुँचायी है। वर्ष 2011 से 2017 के बीच स्थानीय लोगों ने छात्रवृति, पोशाक, मध्याहन भोजन, विद्यालय भवन के निर्माण, परिसर में मिट्टी भराई, चहारदीवारी निर्माण आदि कार्यो में फर्जी वाउचर बनाकर राशि के गबन का गंभीर आरोप लगाते हुए आवेदन पत्र दिये हैं।

किन्तु खेद का विषय है कि आज तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों में भारी आक्रोश है।

अत: मैं इस विद्यालय में व्याप्त शैक्षणिक लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता की जांच कराने हेतु सदन में सरकार से एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह0/-डा0 राम वचन राय
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-67/2018 – 477 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 28.02.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग,बिहार /प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 09.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह
(नवल किशोर सिंह) 28.02.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षा की परीक्षा प्रणाली अब पूर्णरूपेण कम्प्यूटरीकृत कर दी गई है । परीक्षा से संबंधित सारी प्रक्रिया ऑनलाईन किया जाना स्वागतयोग्य महत्वपूर्ण कदम है । यही व्यवस्था संबंधित शिक्षण संस्थानों में नहीं रहने से समिति द्वारा अधिकृत विभिन्न एजेंसियों द्वारा सही रूप से किसी डाटा/ब्योरा प्रविष्ट नहीं किये जाने के कारण त्रुटियों का सारा ठीकरा संस्थान के प्रधान पर थोप दिया जाता है जो उचित नहीं है ।

साथ ही मूल परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र का गठन दूसरे विद्यालय में नहीं कर दूसरे प्रखंड में किये जाने से छात्र-छात्राओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है । ऐसी परिस्थिति में परीक्षार्थी असहज हो जाते हैं । कदाचारमुक्त परीक्षा के नाम पर संस्थानों के साथ-साथ छात्र-छात्राओं के लिए पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस तरह का निर्णय लिया जाना युक्तिसंगत नहीं है ।

अतएव प्रासंगिक संदर्भ में उक्त वर्णित सभी संस्थानों की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में संचित राशि से ऑनलाईन प्रक्रिया को सफल एवं सुचारू करने हेतु **'कम्प्यूटर लैब'** की स्थापना तथा मूल परीक्षा के साथ-साथ प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र के गठन में भी छात्र-छात्राओं की सुविधा एवं सहजता हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ ।

ह0/-डा0 संजीव कुमार सिंह
ह0/- संजीव श्याम सिंह
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-66/2018- 476 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 28.02.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग,बिहार /प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 09.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह
(नवल किशोर सिंह) 28.02.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

राजधानी पटना के सरकारी स्कूलों के नाम बड़े हैं । उपलब्धियाँ भी बड़ी रही हैं । लेकिन वर्तमान स्थिति कुछ भी बेहतर नहीं है । पटना के प्राय: सभी स्कूल और उसके कैंपस जुआरियों का अड्डा बन गये हैं , अवैध तरीके से लोग मकान बनाकर रह रहे हैं, कुछ लोग खटाल चला रहे हैं । विशेषकर बाँकीपुर बालिका विद्यालय, पटना कॉलिजिएट स्कूल, मिलर हाई स्कूल, शहीद राजेन्द्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय, गर्दनीबाग, पटना का अधिकांश भाग अतिक्रमण का शिकार है । यह अतिक्रमण स्कूलों में कई वर्षो से है । अतिक्रमण के अलावा भी कई प्रकार की समस्याओं से स्कूल प्रशासन स्वयं परेशान है और वहीं जिम्मेवार इससे बेफिक्र है । विद्यालय का माहौल दिन-प्रतिदिन खराब हो रहा है ।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वह पटना के सभी सरकारी विद्यालयों को अतिक्रमण से पूर्णत: मुक्त कराने एवं शैक्षणिक वातावरण को बनाये रखने के संबंध में स्पष्ट वक्तव्य दें ।

ह0/-केदार नाथ पाण्डेय
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-65/2018 – 475 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 28.02.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ(एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 09.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 28.02.2018

(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्